मकतपुर सब्जी मार्केट टॉल वसूली की बन्दोबस्ती की संशोधित शर्तें –

1. मकतपुर सब्जी मार्केट की नीलामी वित्तीय वर्ष 2018–19 की शेष अवधि (01.10.18 से 31.03.19) तक के लिए की जायेगी।
2. खुले डक में सम्मिलित होने के लिए डाकवक्ता को सुरक्षित राशि (2,17,925.00 रू0) का 10 प्रतिशत यथा मो0–21,800 रू0 का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक देना होगा, जो नगर आयुक्त, नगर निगम, गिरिडीह के नाम से होगा। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड डाक की तिथि के दिन 11.30 बजे पूर्वाह्न तक गिरिडीह नगर निगम कार्यालय में जमा करना होगा।
3. उक्त वांछित कागजातों के अलावा इस आशय का शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा कि उनका नाम काली सूची में दर्ज नहीं है एवं गिरिडीह नगर निगम का कोई टैक्स/बन्दोबस्त राशि बाकी नहीं है। वांछित कागजात नहीं रहने पर डाक में भाग नहीं ले सकते हैं।
4. पूर्व में की गयी बन्दोबस्त राशि से डाक की बोली कम होने पर उसे अमान्य कर दिया जायेगा।
5. बन्दोबस्ती सामान्यतः उच्चतम डाकवक्ता के साथ की जाएगी। सफल उच्चतम डाकवक्ता को उसी दिन बन्दोबस्ती की आधी राशि (50 प्रतिशत) नगर परिषद कार्यालय में जमा करना होगा। शेष आधी राशि एकमुश्त जनवरी, 19 के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से जमा करना होगा। अन्यथा बन्दोबस्ती को रद्द कर दिया जायेगा।
6. सफल डाकवक्ता को अपने खर्च से एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कराना होगा।
7. बन्दोबस्ती लेने के बाद बन्दोबस्तधारी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।
8. डाक को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
9. कोई भी वाद– विवाद होने पर गिरिडीह न्यायालय में ही वाद का निपटारा किया जायेगा।
10. सब्जी दुकान/ठेला से 10/– रू0 की दर से टॉल वसूली की जायेगी।
11. सब्जी मार्केट की नियमित साफ– सफाई स्वयं करानी होगी, कूड़ा –कचरा पड़े रहने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना वसूल किया जायेगा।
12. अन्य शर्तें एकरारनामा में अंकित की जायेगी।

19/09/18

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गिरिडीह।

17.09.18

18/9